


18.01.2024:—पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी उपस्थित नहीं
आयें। वादी एव वादी अधिवक्ता को बार-बार
आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी
व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के
कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की
जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

